



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, आगरा वृत्त

सेक्टर-13, आफिस काम्पलेक्स, द्वितीय तल,
पं० दीनदयाल उपाध्यायपुरम् (सिकन्दरा योजना), आगरा

Email: seavpagra@gmail.com



संख्या: 2594 / यू०पी०एच०डी०बी० /

0-3

1357

दिनांक 14 / 08 / 2025

ई-निविदा सूचना / ई-अल्पकालीन निविदा सूचना

अधोहस्ताक्षरी द्वारा परिषद की ओर से उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद में उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत समान कार्य के अनुभवी ठेकेदारों से टू-बिड पद्धति पर राज्य सूचना केन्द्र (NIC) की वेबसाइट <http://etender.up.nic.in> के माध्यम से क्रमांक-1, 2, 3, 4, 5, 6 व 7 हेतु ई-निविदा सूचना तथा क्रमांक-8 हेतु ई-अल्पकालीन निविदा सूचना निम्नलिखित विवरण के अनुसार ऑनलाईन निविदाएं आमन्त्रित की जाती हैं, जो निविदादाताओं/उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खण्ड कार्यालयों में निम्नलिखित विवरण के अनुसार खोली जाएंगी। कार्यों की मात्राएं बी०ओ०क्यू० के अनुसार होंगी।

क्र० सं०	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत (रु० लाख में)	घरोहर धनराशि (रु० लाख में)	निविदा प्रोसेसिंग शुल्क (रु० में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	ठेकेदार की परिषद में वांछित पंजीकृत श्रेणी	खण्ड का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अवस्थापना निधि के अंतर्गत जनपद आगरा में भावना स्टेट होली पब्लिक स्कूल के पास सोसाइटी की आन्तरिक सड़क, होली पब्लिक स्कूल वाली गली से रपेस टावर वाली रोड से ग्वाला जनरल स्टोर के बगल वाली रोड, अगम पैराडाइज एवं नशा मुक्ति केन्द्र तक सिकन्दरा योजना, आगरा के सेक्टर-12बी डॉ० के०एस० कौशल के घर से रोयल पैकर्स फैंक्ट्री तक यशोदा एन्क्लेव के सामने होते हुये सी०सी० सड़क, इण्टरलाकिंग व नालियों का निर्माण कार्य।	130.80 + जी०एस०टी० अतिरिक्त	2.62	4500.00 + GST 18%	04 माह	श्रेणी-II	निर्माण खण्ड आगरा-01
2	अवस्थापना निधि के अंतर्गत जनपद आगरा में वार्ड सं०-4 के अंतर्गत रामवीर बघेल के मकान से सुरेश त्यागी के मकान से होते हुये मन्दिर तक व अग्रवाल कालोनी में निरन्जन शर्मा के मकान से महेश हलवाई के मकान तक, सुरेश सविता के मकान से आर० के० पब्लिक स्कूल तक, वार्ड सं०-14 में प्रेम गिरी वाली गली, वार्ड सं०-77 के अंतर्गत कावेरी विहार में मुख्य सड़कों एवं लिंक सड़कों, वार्ड सं०-14 में सरस्वती विहार में गंगा एन्क्लेव वाली गली, दिनेश शर्मा वाली गली, वार्ड सं०-64 में न्यू चौधरी विहार में शिववीर भदौरिया के मकान से बी० के० दुबे मकान तक, वार्ड सं०-14 में अशोक बघेल के मकान से चन्द्रवीर के मकान तक व रशमी विहार, शमशाबाद रोड स्थित वारही अपार्टमेंट के पास सड़क, इण्टरलाकिंग, नालियों व पुलियों का निर्माण कार्य।	224.95 + जी०एस०टी० अतिरिक्त	4.50	4500.00 + GST 18%	04 माह	श्रेणी-I	निर्माण खण्ड आगरा-01
3	अवस्थापना निधि के अंतर्गत जनपद मथुरा में गोवर्धन स्थित मायापुरम कालोनी वार्ड सं०-15 एवं सौख रोड स्थित सुखदेव में इण्टरलाकिंग सड़क, नाली व पुलियों का निर्माण कार्य।	127.25 + जी०एस०टी० अतिरिक्त	2.55	4500.00 + GST 18%	03 माह	श्रेणी-II	निर्माण खण्ड आगरा-02
4	अवस्थापना निधि के अंतर्गत जनपद मथुरा में राष्ट्रीय राजमार्ग से गणेशरा रोड स्थित गणेश धाम कालोनी वार्ड-43 में इण्टरलाकिंग सड़क, नाली व पुलियों का निर्माण कार्य।	197.45 + जी०एस०टी० अतिरिक्त	3.95	4500.00 + GST 18%	04 माह	श्रेणी-II	निर्माण खण्ड आगरा-02
5	अवस्थापना निधि के अंतर्गत जनपद आगरा में भगवान नगर कालोनी, टेढ़ी बगिया में इण्टर लाकिंग सड़क, नाली, पुलियों का निर्माण कार्य एवं हनुमान नगर, मारुती स्टेट एवं तूशा एन्क्लेव, अवधपुरी में सी०सी० सड़क, नाली, पुलियों का निर्माण कार्य।	192.60 + जी०एस०टी० अतिरिक्त	3.86	4500.00 + GST 18%	06 माह	श्रेणी-II	निर्माण खण्ड आगरा-02
6	अवस्थापना निधि के अंतर्गत जनपद आगरा में जगदीशपुरा सब्जीमण्डी में सुनील गोली के घर से प्यारे लाल वैदय जी के घर तक एवं सुनील गोली के घर से दुली चन्द्र के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क, नाली, पुलियों का निर्माण कार्य एवं अवधपुरी 100 फुटा रोड से राधापुरम रामलाल जी के घर तक वाया संगम विला एवं गुप्ता एग्री फील्ड से आर०डी० कान्हेन्ट स्कूल तक वाया शिव वाटिका में सी०सी० सड़क, नाली, पुलियों का निर्माण कार्य।	160.65 + जी०एस०टी० अतिरिक्त	3.22	4500.00 + GST 18%	06 माह	श्रेणी-II	निर्माण खण्ड आगरा-02

7	अवस्थापना निधि के अंतर्गत जनपद हाथरस में योजना सं0-1 में सी0सी0 रोड एवं इण्टरलाकिंग टाइल्स, नाली व पुलियों का निर्माण कार्य।	70.40 + जी0एस0टी0 अतिरिक्त	1.41	3000.00 + GST 18%	06 माह	श्रेणी-III	निर्माण खण्ड आगरा-02
8	जनपद आगरा में अवस्थापना निधि के अंतर्गत शम्भू नगर कालोनी में, वंशीधर धाम कालोनी, जलेश्वर रोड, आगरा की मुख्य व आन्तरिक सड़कों पर एवं श्यामनगर कालोनी, आगरा की गलियों में इण्टरलाकिंग टाइल्स, नालियों व पुलियों का निर्माण कार्य।	211.97 + जी0एस0टी0 अतिरिक्त	4.25	4500.00 + GST 18%	03 माह	श्रेणी-I	निर्माण खण्ड आगरा-02

निविदा से संबंधित विवरण	क्र0सं0-01, 03, 04, 05, 06, 07 व 08 हेतु तिथि व समय	क्र0सं0-02 हेतु तिथि व समय
Document Download Start Date	25/08/2025 (03:00 PM)	25/08/2025 (03:00 PM)
Document Download End Date	09/09/2025 (03:00 PM)	26/09/2025 (03:00 PM)
Bid Submission Start Date	25/08/2025 (03:00 PM)	25/08/2025 (03:00 PM)
Bid Submission/Closing Date	09/09/2025 (03:00 PM)	26/09/2025 (03:00 PM)
Technical Bid Opening Date	10/09/2025 (01:00 PM)	27/09/2025 (01:00 PM)
Financial Bid Opening Date	After valuation of Technical Bid	After valuation of Technical Bid

नियम व शर्त :- ई-निविदा हेतु

- निविदा प्रोसेसिंग शुल्क व धरोहर धनराशि आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से अलग-अलग निम्नलिखित विवरण के अनुसार Bid Closing Date से एक दिन पूर्व तक खण्ड कार्यालय के खाते में जमा किया जाना होगा। संबंधित आर0टी0जी0एस0 के यू0टी0आर0 नम्बर की छायाप्रति स्कैन कर निविदा प्रपत्र के साथ अपलोड किया जाना होगा। वांछित धनराशि खाते में जमा होने की पुष्टि के उपरान्त ही निविदा पर विचार किया जायेगा। खाते का विवरण निम्नवत् है:-

क्र0सं0-01 व 02 पर अंकित निविदा हेतु खाते का विवरण-

Name of A/c. :- Executive Engineer, Construction Division Agra-01,
U.P. Avas Vikas Parishad, Sector-13, Sikandra Yojna, Agra

Name of Bank :- Bank of Baroda, Sikandra Yojna, Agra

A/C No. :- 30500100006777

IFSC No. :- BARB0SIKAGR

Branch UPAVP Sector-4, Agra

क्र0सं0- 03, 04, 05, 06, 07 व 08 पर अंकित निविदा हेतु खाते का विवरण-

Name of Holder :- Executive Engineer Construction Division-30,
U.P.Housing & Development Board, Office Complex
Sector-13, Sikandra Yojna, Agra

A/C No. :- 21156130649

IFSC No. :- IDIB000U532

Name of Bank :- INDIAN BANK AGRA

Branch UPAVP Sector-4, Agra

- निविदा प्रोसेसिंग शुल्क/धरोहर धनराशि प्रोसेसिंग शुल्क से संबंधित आर0टी0जी0एस0 के यू0टी0आर0 नम्बर की छायाप्रति स्कैन कर निविदा प्रपत्र के साथ अपलोड किया जाना होगा।
- यदि किसी ठेकेदार/फर्म ने स्थायी धरोहर धनराशि (जनरल सिक्योरिटी) जमा की है तो भी निविदा के साथ कुल वांछित धरोहर धनराशि व स्थायी धरोहर धनराशि (जनरल सिक्योरिटी) के अन्तर की धनराशि निविदा के साथ जमा किया जाना अनिवार्य होगा।
- निविदा प्रपत्र, परिषद की वेबसाइट www.upavp.in के निविदा लिंक पर तथा उ0प्र0 इलेक्ट्रॉनिक कारपोरेशन की वेबसाइट <http://etender.up.nic.in> पर देखे जा सकते हैं। इच्छुक ठेकेदार नियमित रूप से उक्त वेबसाइट देखते रहें क्योंकि निविदाओं के संबंध में कोई संशोधन अथवा सूचना वेबसाइट पर उपलब्ध करायी जायेगी। डिजिटल सिग्नेचर धारक ठेकेदार/फर्मों द्वारा ही ऑनलाईन निविदा डाली जा सकती है।
- शासन के निर्देशों के अनुसार निर्माण कार्य में प्रयुक्त सामग्री यथा मिट्टी, सैंड, स्टोन ग्रेट/बैलस्ट इत्यादि पर रॉयल्टी भुगतान की रसीद/साक्ष्य प्रस्तुत करने पर एवं सत्यापन उपरान्त ही बिल का भुगतान अनुमन्य होगा अन्यथा नियमानुसार बिल से कटौती की जायेगी। शासनादेश संख्या-3385-2015-292/2015 दिनांक 15/10/2015 के अनुपालन में यदि ठेकेदार/फर्म नियमानुसार रॉयल्टी जमा नहीं करती है, तो निर्धारित रॉयल्टी की धनराशि के अतिरिक्त पांच गुना धनराशि फर्म के देयक से वसूल की जायेगी।
- उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियम नियमावली वर्ष 2009 के विनियम 24 (2) के अन्तर्गत प्रत्येक निविदा का एकल पंजीकरण कराना अनिवार्य है। अनुबंध गठन के पश्चात् एक सप्ताह के अंदर पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही देयक का भुगतान किया जाएगा तथा प्रत्येक देयक से नियमानुसार लेबर सेस की कटौती की जाएगी।

AE

AE

AE

AE

AE

7. निविदा की बी0ओ0क्यू0 में अंकित कार्यों की मात्रा में परिवर्तन हो सकता है जिसके लिए ठेकेदार/फर्म का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा। निविदा डालने से पूर्व निविदादाताओं द्वारा स्थल निरीक्षण कर लिया जाये। बाद में स्थल सम्बन्धी किसी प्रकार का विवाद मान्य नहीं होगा।
8. निविदा में प्रतिभाग करने से पूर्व इच्छुक निविदादाता/ठेकेदारों/फर्मों से अपेक्षा की जाती है कि वह कार्यस्थल का निरीक्षण अवश्य कर लें तथा कार्यस्थल का जी0ओ0 टैगिंग फोटो अपलोड करना अनिवार्य होगा, क्योंकि बाद में किसी भी प्रकार का अतिरिक्त क्लेम मान्य नहीं होगा।
9. निविदा की स्वीकृति की दशा में अनुबन्ध हेतु शासन द्वारा निर्धारित मानक व निविदा की लागत के अनुसार आवश्यक धनराशि के स्टाम्प अनुबन्ध हेतु प्रस्तुत करने होंगे।
10. निविदादाताओं/फर्म को निविदा स्वीकृति की दशा में कार्य की जमानत धनराशि आवास आयुक्त (म०) के कार्यालय आदेश संख्या-2539/अभियन्त्रण अनुभाग/परफॉर्मेन्स सिक्वोरिटी/01 दिनांक 09.08.2021 के अनुसार किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0 के रूप में अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-आगरा-01/02, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, आगरा के पक्ष में बनवाकर जमा करनी होगी।
11. अनुबन्ध गठन की प्रक्रिया के दौरान या उसके उपरान्त यदि यह संज्ञान में आता है कि संबंधित ठेकेदार/व्यक्ति सक्रिय रूप से माफिया गतिविधियों, असामाजिक कार्यों एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है, तो उसके साथ किया गया अनुबंध निरस्त कर दिया जाएगा एवं दण्ड के रूप में उसकी धरोहर धनराशि जब्त करते हुए उसका नाम काली सूची में डाला जाएगा।
12. निविदादाता/फर्म द्वारा दिए गए दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों के गलत पाये जाने पर निविदादाता को अयोग्य समझा जायेगा एवं निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। यदि फर्जी/गलत दस्तावेजों की जानकारी अनुबंध गठन के बाद होती है तो अनुबंध उसी समय निरस्त करते हुए दण्ड के रूप में धरोहर धनराशि जब्त करते हुए उसका नाम काली सूची में डाला जायेगा।
13. निविदादाता/फर्म को जी०एस०टी० में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा। फर्म को नियमानुसार जी०एस०टी० अलग से देय होगी।
14. ठेकेदार/फर्म के सभी देयकों से आयकर, लेबर सेस एवं अन्य कर जो सरकार द्वारा लागू किया जाता है, की नियमानुसार कटौती की जायेगी।
15. निविदादाता द्वारा बिजली कार्य, दीमक रोधी व ब्रिक कोवा कार्य हेतु पंजीकृत होने अथवा उसके द्वारा रु० 10.00 के स्टाम्प पेपर पर बिजली कार्य एवं दीमक रोधी कार्य हेतु पंजीकृत फर्मों से कार्य कराने का शपथ पत्र एवं प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने पर ही निविदा पर विचार किया जायेगा।
16. यदि किसी कारणवश निविदा सूचना में उल्लिखित तिथि को अवकाश हो जाता है तो निविदा अगले कार्य दिवस को खोली जायेगी।
17. जमानत धनराशि कार्य समाप्ति अथवा सम्बन्धित विभाग को हस्तगत की तिथि, जो भी बाद में हो, से एक वर्ष उपरान्त अवमुक्त की जायेगी। शासनादेश के अनुसार डिफैक्ट लायबिलिटी अवधि कार्य पूर्ण होने की तिथि के बाद तीन वर्ष तक होगी, जिसके लिये कार्य की लागत का 1.00 प्रतिशत जमानत धनराशि तत्पश्चात् ही अवमुक्त की जायेगी।
18. समस्त कार्य लोक निर्माण विभाग/परिषद/उ०प्र० जल निगम की नवीनतम विशिष्टियों के अनुसार कराये जायेंगे।
19. जी०पी०डब्लू-9 फार्म अनुबन्ध का हिस्सा होगा तथा उसमें उल्लिखित नियम एवं शर्तों का पालन करना आवश्यक होगा।
20. कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण करना होगा। कार्य की मासिक प्रगति निर्धारित मासिक प्रगति चार्ट के अनुसार होनी चाहिए। प्रगति आंकलन प्रत्येक माह के अन्त में किया जाएगा। विलम्ब की दशा में ठेकेदार को अगले माह के अन्त तक निर्धारित क्यूमूलेटिव प्रगति प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा अनुबंध निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिए ठेकेदार/फर्म का कोई क्लेम मान्य न होगा।
21. निविदादाता की निविदा के साथ निर्धारित वैध प्रमाण-पत्र (टी-4, टी-5, टी-6) की स्कैन की प्रति आनलाइन जमा करना अनिवार्य होगा।
22. निविदा की दर कम या अधिक (Below or Above) अंकित न होने पर कम (Below) माना जायेगा।
23. शासनादेश संख्या-522/23-2012-2 ऑडिट/08 टी०सी०-2 दिनांक 08/06/2012 के अनुसार बी०ओ०क्यू० से Below दरें देने पर ठेकेदार द्वारा अतिरिक्त जमानत धनराशि निम्न विवरण के अनुसार देय होगी :-
(I) 10 प्रतिशत Below तक दर पर 0.50 प्रतिशत प्रति 1.00 प्रतिशत कम Below दर पर।
(II) 10 प्रतिशत से अधिक Below दर पर 1.00 प्रतिशत प्रति 1.00 प्रतिशत कम Below दर पर।
न्यूनतम दरदाता द्वारा अतिरिक्त जमानत धनराशि वित्तीय बिंड खुलने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर कार्यालय में एफ०डी०आर० के रूप में जो कि अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड आगरा-01/02, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, आगरा के नाम बन्धक हो, जमा करानी होगी अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा तथा निविदा निरस्त करते हुए धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
24. सक्षम अधिकारी को कोई भी अथवा समस्त निविदायें बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है, जिसके सम्बन्ध में कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
25. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
26. तकनीकी बिड के चेक लिस्ट के अनुरूप मांगे गये सभी दस्तावेज को अपलोड करने पर ही दरें मान्य होगी तथा चेकलिस्ट के अतिरिक्त वांछित किसी प्रपत्र की अपूर्णता पाये जाने पर भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। दस्तावेज यदि सही नहीं पाये जाते हैं, तब प्रथम न्यूनतम दरों पर भी विचार नहीं किया जायेगा।
27. धनराशि शासन से प्राप्त होने के बाद ही भुगतान किया जायेगा। शासन से धनराशि विलम्ब से प्राप्त होने पर कोई भी क्लेम मान्य नहीं होगा।
28. किसी भी विवाद की दशा में न्यायिक क्षेत्र नियंत्रक अधीक्षण अभियन्ता के कार्यालय के जनपद में अर्थात् आगरा दृत्त हेतु जनपद आगरा होगा।
29. स्किल्ड एवं नॉन स्किल्ड श्रमशक्ति (मानव संसाधन) का पंजीकरण कराने, ई०पी०एफ० एवं ई०एस०आई० की व्यवस्था ठेकेदार/फर्म द्वारा अपने स्तर से स्वयं की जायेगी, जिसके लिये परिषद की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

30. परिषद द्वारा समय-समय पर अनुमोदित किये गये सामग्री की ब्राण्ड सूची के अनुसार सामग्री कार्य में प्रयोग की जायेगी।
31. निविदा की वैधता निविदा खुलने की तिथि से तीन माह की होगी, जिसके लिये निर्धारित प्रारूप में ₹0 100/- के नॉन जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर ₹0 1/- का हस्ताक्षरित रेवेन्यू स्टाम्प निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
32. निविदादाता को कार्य में सम्मिलित विशेष प्रकृति के कार्य, तत्सम्बन्धी कार्य हेतु दक्ष अधिकृत एजेन्सी के पर्यवेक्षण में कराने होंगे।
33. ई-निविदा अपलोड करते समय सक्षम स्तर से निर्गत वैध चरित्र प्रमाण-पत्र एवं वैध हैसियत प्रमाण-पत्र तथा वैध लेबर पंजीकरण प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
34. कार्य सम्पादित कराये जाने के दौरान वर्षा या अन्य दैवी आपदा के कारण किसी प्रकार की हुई क्षति हेतु परिषद द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जायेगा तथा ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
35. प्रस्तावित कार्य स्थल पर भूमि की अनुपलब्धता की स्थिति में यदि अन्यत्र भूमि उपलब्ध करायी जाती है, तो कार्य ई-निविदा में दी गयी दरों पर ही करना होगा। इस सम्बन्ध में फर्म/ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
36. ठेकेदार/फर्म की लापरवाही के कारण कार्यस्थल पर हुई क्षति या दुर्घटना हेतु ठेकेदार/फर्म स्वयं की जिम्मेदारी होगी। परिषद द्वारा कोई प्रतिपूर्ति देय नहीं होगी।
37. निविदादाता द्वारा कार्य में प्रयोग किये जा रहे जल की व्यवस्था स्वयं करनी होगी तथा कार्य आरम्भ करने से पूर्व प्रयोग किये जा रहे जल का टेस्ट सर्टिफिकेट अनुमोदित संस्था से प्राप्त कर उपलब्ध कराना होगा।
38. उक्त कार्य हेतु एन0जी0टी0 के नियमों का अनुपालन किये जाने हेतु निविदादाता फर्म द्वारा निर्धारित स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र दिया जाना अनिवार्य होगा।
39. अवस्थापना निधि के अंतर्गत प्राप्त धनराशि के उपयोग हेतु निर्गत शासनादेश सं0-5080/9-अ-1 दिनांक 15.12.1998 एवं 834/आठ-1-19-58 बजट/2018 दिनांक 06.06.2019 में उल्लिखित शर्तों एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
40. कोविड-19 के अन्तर्गत कार्यस्थल पर सोशल डिस्टेंसिंग सेनेटाइजेशन/फिजिकल डिस्टेंसिंग का पूर्णतया पालन करना तथा कार्यरत कार्मिकों की सुरक्षा एवं संरक्षा इत्यादि से सम्बन्धित प्रदूषण का समुचित उपाय करना अनुबन्धक का उत्तरदायित्व होगा।

(अबुल क़ुमार सिंह)
अधीक्षण अभियन्ता

दिनांक 14/08/2025

पृ0सं0: - 2594

/ 0-3 1357

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. मुख्य अभियन्ता (म0), उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ।
2. अधीक्षण अभियन्ता, /अवध विहार/वृन्दावन/प्रोजेक्ट/अयोध्या/बागपत/बुन्देलखण्ड/गाजियाबाद/गोरखपुर/वाराणसी/कानपुर लखनऊ/मेरठ/प्रयागराज/रुहेलखण्ड, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।
3. अधिशासी अभियन्ता, कम्प्यूटर सेल, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया निविदा सूचना को परिषद की वेबसाइट पर प्रसारित करने का कष्ट करें।
4. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड आगरा-01/02/03, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, आगरा/अलीगढ़ को इस आशय से प्रेषित है कि निविदाओं को उपरोक्तानुसार तिथियों से पूर्व राज्य सूचना केन्द्र (NIC) की वेबसाइट <http://etender.up.nic.in> पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
5. नोटिस बोर्ड।

अधीक्षण अभियन्ता

दिनांक 14/08/2025